

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 24.09.2026

जनपद-भदोही

गोपीगंज पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गैंग लीडर राजू सेठ के गैंग का एक और गैंगस्टर अभियुक्त गिरफ्तार, यह गिरोह लाभ प्राप्त करने के लिये बैंकों को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहचाने के उद्देश्य से नकली आभूषण को असली आभूषण के रूप में प्रमाणित कर कूट रचना एवं धोखाधड़ी करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर बैंक को नुकसान पहुंचाने जैसा करते हैं जघन्य अपराध

थाना गोपीगंज पुलिस ने धोखाधड़ी एवं जालसाजी करने वाले संगठित गिरोह के विरुद्ध दर्ज गैंगस्टर एक्ट (उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम) में लगातार वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस गिरोह के गैंग लीडर सहित 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

शासन/पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक भदोही *“श्री अभिनव त्यागी”* के निर्देशन *“श्री शुभम अग्रवाल”* अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के पर्यवेक्षण में शान्ति एवं कानून व्यवस्था के मद्देनजर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर राजू सेठ पुत्र बसन्तलाल व गैंग के 21 सक्रिय सदस्यों द्वारा गिरोह बनाकर लाभ प्राप्त करने के लिये बैंक को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहचाने के उद्देश्य से नकली आभूषण को असली आभूषण के रूप में प्रमाणित करते हुए बैंक के साथ कूट रचना एवं धोखाधड़ी करते हुए आपराधिक षडयंत्र कर बैंक को नुकसान पहुंचाने जैसा जघन्य अपराध करने के संबंध में थाना गोपीगंज पर धारा 3(1) गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि० 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। गोपीगंज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 24-09-2026 को गैंग लीडर राजू सेठ के गैंग की सक्रिय सदस्य गैंगस्टर अभियुक्त श्याम सुंदर पाल को झिरियाँ पुल के पास बने यात्री प्रतीक्षालय से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण:-

श्याम सुन्दर पाल पुत्र राजा राम पाल, निवासी गुलौरी, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही उम्र 30 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

(उ0नि0) शशांक बाजपेयी, (मु0आ0) मिथिलेश कुमार सिंह, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही।